

उत्तर प्रदेश सरकार  
श्रम अनुभाग-1

संख्या: सी0एम0-24 / 36-1-2015-156 (एस0टी0) / 1976 (टी0सी0)  
लखनऊ, दिनांक 12 मई, 2015

अधिसूचना

समान पारिश्रमिक अधिनियम-1976 (अधिनियम संख्या-25 सन 1976) की धारा- 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से एक वर्ष के लिये श्रीमती विद्यावती राजभर पत्नी स्व0 चिन्ताराम राजभर, ग्राम-रावी बहादीपुर, अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर को महिलाओं के लिये गठित "समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति", श्रम विभाग का अध्यक्ष नामित करते हैं।

अरुण कुमार सिन्हा  
प्रमुख सचिव